

प्रेस नोट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर दिनांक 04.10.2024

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त में 01 अदद अवैध तमंचा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ताल के नेतृत्व में उ0नि0 हरिओम सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 578/2024 धारा 109,191(2),191(3) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त विशाल यादव को 01 अदद अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.10.2024 को वादी मुकदमा अपने कार से अपने दोस्त से मिलने आये थे तभी अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नियत से वादी मुकदमा के कार पर तमंचे से फायर करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व आपराधिक इतिहास-

विशाल यादव पुत्र योगेन्द्र यादव निवासी मंझरिया पो0 छताई थाना खजनी जनपद गोरखपुर

1. मु0अ0सं0 578/2024 धारा 109,191(2),191(3) भा0न्या0सं0 व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 573/2024 धारा 115(2)/352/351(3)/126(2) भा0न्या0सं0 थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 60/2022 धारा 147,308,323,504,506भा0द0वि0 थाना खजनी जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 150/2022 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना खजनी जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद अवैध तमंचा

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 हरिओम सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रवि प्रकाश यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 ऋषिमुनी चौधरी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
4. का0 नकीब खान थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर
5. का0 पवन यादव थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर